DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

Old Secretariat, Delhi 110054 Dated: 01 March, 2017

NOTIFICATION

No.F.23(28)/Proro/2017/LAS-VI/Leg./ 11256-66 The following order of the Lieutenant Governor, Delhi dated 01 March, 2017 is hereby published for general information:-

In exercise of the power conferred upon me by clause (a) of subsection (2) of section 6 of The Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act No.1 of 1992), I, hereby prorogue the Fourth Session of Sixth Legislative Assembly with immediate effect.

Sd/-Anil Baijal Lieutenant Governor of Delhi.

(Prasanna Kumar Suryadevara)

Secretary

No.F.23(28)/Proro/2017/LAS-VI/Leg./ 11256-66

Dated: 01 March, 2017

Copy for information to:-

- 1. All Members of the Delhi Legislative Assembly, Delhi.
- 2. All Members of Parliament from Delhi.
- 3. The Secretary-General, Rajya Sabha/Lok Sabha, Secretariat, New Delhi.
- 4. The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs/ Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi.
- 5. The Secretary, Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi.
- 6. The Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 7. The Secretary to the Lt. Governor of NCT of Delhi.
- 8. The OSD to the Chief Minister, Delhi/Secretaries of all Ministers of Delhi.
- 9. All Administrative Secretaries of the Govt. of NCT of Delhi.
- 10. All Heads of Departments, Government of NCT of Delhi.

11. The Secretaries of all States/Union Territories legislature of India.

C.Velmurugan)

Deputy Secretary (Legislation)

(दिल्ली राजपत्र (असाधारण) भाग–4 में दिनांक 01 मार्च, 2017 को प्रकाशनार्थ)

विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 दिनांकः 01 मार्च , 2017

अधिसूचना

दिनांक, 01 मार्च, फा.सं. 23(28) / प्रोरो / 2017 / विसस—6 / विधायी / 11256 - 66 2017 को उपराज्यपाल द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 6 की उप—धारा (2) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं, एतदद्वारा छठी दिल्ली विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तत्काल प्रभाव से सत्रावसान करता हूँ।

> ह0 ∕ − अनिल बैजल उपराज्यपाल, दिल्ली।

एस प्रसन्ना कुमार

(प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा)

फा.सं. 23(28) / प्रोरो / 2017 / विसस-6 / विधायी / 11256-66 प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

दिनांक 01 मार्च, 2017

- समस्त सदस्य, दिल्ली विधान सभा। 1.
- दिल्ली के समस्त सांसद। 2.

महासचिव, लोकसभा, राज्यसभा, संसद भवन, नई दिल्ली। 3.

- सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई 4.
- सचिव, निर्वाचनं आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली। 5.

मुख्य सचिव, दिल्ली। 6.

सचिव, उप-राज्यपाल, दिल्ली। 7.

मुख्य मंत्री के ओ.एस.डी, / सभी मंत्रियों के सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली। 8.

समस्त प्रशासनिक सचिव, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली। 9.

समस्त विभागाध्यक्ष, रा.रा.राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली। 10.

सचिव, राज्य विधान मंडल / संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल। 11.

उप सचिव (विधायी)